

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 23/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

श्री. जामूराम पुत्र दा. लखाराम

पटवारी हल्का रागासा

जाते मधुवाल निवासी देवाजी  
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर


निर्णय

पत्रावली आज बमुकान गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./...। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रागासा ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देवाजी के खसरा नम्बर 2507 रकबा 99.05 बीघा में से 0.12 बीघा किस्म की रजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।


अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन कर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर 42 रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षण भूआ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड़  
इसलदार गडरारोड़

जुमाना 50 फसल नि. ....  
कुल योग 50 राज.के पृष्ठ सं 26  
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया :

  
तहसील राजस्व लेखाकार